[2020] 2 उम. नि. प. 346

अम्बालाल साराभाई इंटरप्राइज लिमिटेड

बनाम

के एस इंफ्रास्पेस एलएलपी लि. और एक अन्य

[2019 की सिविल अपील संख्या 9346 के साथ 2019 की सिविल संख्या 9347, 9348 और 9349]

6 जनवरी, 2020

न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 133 [सपठित विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 34, 36 और 37 तथा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 39] – अपील – संविदा भंग होने से कारित अपूरणीय क्षति के आधार पर व्यादेश मंजूर करना – संविदा पूर्ण होना साबित नहीं होना – विहित अवधि के भीतर वाद फाइल नहीं होना – यदि कोई व्यक्ति संविदा भंग के कारण कारित अपूरणीय क्षति के आधार पर व्यादेश का कोई आदेश प्राप्त कर लेता है तो वह तब तक विधि में कायम रखे जाने योग्य नहीं होगा जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता है कि संविदा पूर्ण हो गई है और यदि वह इसे साबित करने में असफल रहता है तो वह संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद फाइल करने का अधिकार खो देता है और उस दशा में, उसे प्राप्त व्यादेश का कोई भी आदेश कायम रखे जाने योग्य नहीं होता है ।

वर्तमान मामले में, वादी ने प्रतिवादी बहन के विरुद्ध ग्राम वाडीवाडी, सुभानपुरा, जिला वड़ोदरा, गुजरात में स्थित कुल 19,685 वर्गमीटर भूमि के संबंध में घोषणा और विनिर्दिष्ट पालन के लिए दो बार फाइल किया था । वादी ने यह दलील दी थी कि वाद भूमियों का क्रमश: कुल 31,81,73,076/- रुपए और 58,26,86,984/- रुपए में विक्रय करने के लिए बातचीत करने के पश्चात् प्रतिवादी के साथ एक संविदा विद्यमान है । वादी को तारीख 30 मार्च, 2018 के अंतिम ड्राफ्ट सहमति पत्र (एमओयू) में इसकी स्वीकृति सम्यक् रूप से संसूचित कर दी गई थी ।

संविदा दस्तावेजों का औपचारिक निष्पादन मात्र एक औपचारिकता रह गई थी । अग्रिम धन के रूप में 2.16 करोड़ रुपए संदत्त भी कर दिए गए थे । वादी अतिशेष रकम को संदत्त करने के लिए तैयार और रजामंद था । वैकल्पिक तौर पर यह दावा किया गया था कि पक्षकारों के बीच मौखिक संविदा विद्यमान थी । प्रतिवादियों ने आश्चर्यजनक रूप से प्रतिवादी सं. 2 के साथ तारीख 31 मार्च, 2018 को रजिस्ट्रीकृत विक्रय करार किया और इसलिए, वाद फाइल किया गया और व्यादेश के लिए प्रार्थना की गई है । प्रधान सिविल न्यायाधीश ने तारीख 18 फरवरी, 2019 के आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि तारीख 29 मार्च, 2018 और तारीख 30 मार्च, 2018 के ईमेल द्वारा विक्रय के लिए निबंधन और शर्तें अंतिम हो गई थीं । 2.16 करोड़ रुपए की अग्रिम रकम पहले ही संदत्त कर दी गई थी और वादी अतिशेष रकम का संदाय करने के लिए तैयार और रजामंद था । तृतीय पक्षकार के अधिकारों का सृजन होने से आगे मुकदमेबाजी और बढ़ेगी । इस प्रकार, अस्थायी व्यादेश के आदेश द्वारा प्रतिवादियों को कोई अन्य दस्तावेज जिनमें इसी तरीके से वाद भूमियों के संबंध में विक्रय विलेख या कोई और प्रभार, हित या संव्यवहार सम्मिलित है, करने से अवरुद्ध कर लिया गया । उच्च न्यायालय ने तारीख 30 अगस्त, 2009 के अपने आदेश द्वारा व्यादेश की आदेश की पुष्टि करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया कि पक्षकारों के बीच वाट्सऐप के साथ तारीख 30 मार्च, 2018 के ईमेल द्वारा भेजे गए ड्राफ्ट एमओयू की स्वीकृति की संसूचना संविदापूर्ण होने की कोटि में आएगा । इससे व्यथित होकर वर्तमान अपील फाइल की गई । न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – न्यायालय ने प्रतिवादी सं. 1 और 2 के विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री कपिल सिब्बल, श्री सी. यू. सिंह और श्री हुजेफा अहमदी जो न्यायालय के समक्ष अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित हुए थे, को सुना । श्री सिब्बल ने संबंधित प्रतिवादी बहन की ओर से तर्क देते हुए यह निवेदन किया कि उन्होंने वित्तीय अभाव और आयकर विभाग के पास कुल 48,74,45,929/- रुपए बकाया होने के एवज में उसके द्वारा अचल संपत्तियों को कुर्क करने के अलावा अन्य कानूनी दायित्वों, कर्मचारियों और कारबार से संबंधित दायित्वों का निर्वहन करने में वित्तीय

असमर्थता को ध्यान में रखते हुए, भूमियों का विक्रय करने का निश्चय किया था । वादी के साथ बातचीत अंतिम नहीं हुई थी किन्तु मात्र बातचीत के प्रक्रम पर ही थी । वादी ने कुर्क संपत्ति को छुड़ाने के लिए विक्रय प्रतिफल रकम के भाग रूप में प्रतिवादियों के ऊपर आयकर विभाग के दायित्व का निर्वहन करने के अलावा प्रतिवादियों के अन्य दायित्वों को स्वीकार नहीं किया, इसलिए, प्रतिवादी सं. 2 के साथ नए सिरे से बातचीत की गई थी । यह दलील दी गई कि करार का निष्पादन औपचारिक रूप से विवादित था । वाद में, वैकल्पिक दलील से यह प्रकट [illegible] विद्यमान थी । [illegible] का अंतिम ड्राफ्ट एमओयू की स्वीकृति में प्रत्यर्थी का उत्तर विलंबित था । वादी अच्छी तरह से इन सभी बातों को जानता था कि प्रतिवादी उसके अलावा दो अन्य व्यक्तियों से भी बातचीत कर रहे थे । वादी को तारीख 30 मार्च, 2018 के पूर्व यह जानकारी थी कि उसके साथ किया जा रहा संव्यवहार अंतिम नहीं हो सकता था और यह कि प्रतिवादी किसी अन्य व्यक्ति के साथ बातचीत में आगे बढ़ रहा था । प्रतिवादी सं. 2 के साथ संव्यवहार, प्रतिवादी सं. 2 द्वारा तारीख 30 मार्च, 2018 से उसकी बहन से संबंधित आयकर विभाग के बकायों जो क्रमश: 17.69 करोड़ रुपए और 2.20 करोड़ रुपए थे जिनसे तारीख 26 अप्रैल, 2018 को आयकर विभाग द्वारा भूमियों के लिए जारी कुर्की आदेश को छुड़ाने में समर्थ होता, का संदाय करने के पश्चात् तारीख 31 मार्च, 2018 को रजिस्ट्रीकृत विक्रय करार के निष्पादन द्वारा अंतिम की गई थी, जिनके अग्रसरण में प्रतिवादी सं. 2 द्वारा तारीख 16 जनवरी, 2019 तक कुल 45.84 करोड़ रुपए का भी संदाय किया गया था । कुल 36.20 करोड़ रुपए जो विक्रय कार्यवाहियों से प्राप्त हुआ था, का उपयोग प्रतिवादियों द्वारा पहले ही अन्य कानूनी दायित्वों और कर्मचारियों से संबंधित दायित्वों इत्यादि का संदाय करने में कर लिया गया था । इसलिए, यह सद्भाविक कार्रवाई थी । तारीख 30 मार्च, 2018 के ड्राफ्ट की स्वीकृति एमओयू द्वारा वादी का ईमेल जैसा कि दावा किया गया है, तारीख 31 मार्च, 2018 को पूर्वाह्न 7.43 बजे तक उसके द्वारा नहीं भेजा गया था अपितु यह प्रतिवादी को तारीख 31 मार्च, 2018 को अपराह्न 1.13 बजे प्राप्त हुआ था । तारीख 30 मार्च, 2018 के पूर्व पूर्ण जानकारी और तारीख 31 मार्च, 2018 को 2.16 करोड़ रुपए आरटीजीएस के माध्यम

से वापस प्राप्त करने के बावजूद, वादी ने तारीख 3 अप्रैल, 2018 को ही एक लोक सूचना प्रकाशित की यह विज्ञापन देते हुए कि सभी संबंधित व्यक्ति उस संपत्ति के साथ संव्यवहार नहीं करें जिसका प्रतिवादियों द्वारा प्रकाशित तारीख 4 अप्रैल, 2018 के एक अन्य लोक सूचना में सम्यक् रूप से उत्तर और खंडन कर दिया गया था । वाद में, वाद हेतुक, तारीख 30 मार्च, 2018 के ईमेल और तारीख 3 अप्रैल, 2018 की लोक सूचना पर आधारित है । तारीख 31 मार्च, 2018 को नकद वापसी की जानकारी होते हुए भी तारीख 31 मार्च, 2018 को प्रतिवादी के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय करार पर हस्ताक्षर होने को स्वीकार किया गया है । किन्तु, इस बारे में कोई भी सुझाव नहीं दिया गया है कि क्यों वाद को सात माह से अधिक दिनों के विलंब से फाइल किया गया । वाणिज्यिक संव्यवहारों में उच्चस्तरीय मामलों में विलंब एक आवश्यक तत्व है । हमने विस्तृत तौर पर पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल द्वारा कतिपय वाट्सऐप संदेशों और ईमेल संदेशों के माध्यम से किए गए संव्यवहारों पर विचार किया । न्यायालय ने क्रमश: निवेदनों पर भी विचार किया । व्यादेश के आरंभिक प्रक्रम पर मुकदमेबाजी, जहां पक्षकारों के दावे अस्पष्ट प्रक्रम पर हैं, वाद की प्रक्रिया को रोक दिया है । न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि इस प्रक्रम पर न्यायालय को तथ्यों के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष या वाद के गुणागुणों पर अभिव्यक्त कोई राय, सिवाय वर्तमान आदेश के प्रयोजन के लिए आवश्यक होने की सीमा तक, स्वयं को अवरुद्ध कर देना चाहिए ताकि वह वाद में किसी भी पक्षकार के प्रतिकूल न हो । विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा गया है) के अध्याय VII, धारा 36 निवारक अनुतोष मंजूर करने के लिए उपबंध करता है । धारा 37 यह उपबंध करती है कि वाद में अस्थायी व्यादेश, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा विनियमित होगा । विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद में अनुतोष मंजूर करना स्वयं एक वैवेकिक उपचार है । इसलिए, विनिर्दिष्ट पालने के लिए वाद में अस्थायी व्यादेश की ईप्सा करने वाले वादी को अविवादित तथ्यों के आधार पर मजबूत तौर पर प्रथमदृष्ट्या मामले को सिद्ध करना होता है । वादी का आचरण भी व्यादेश के प्रयोजन के लिए अत्यधिक सुसंगत रूप से विचार करने योग्य होता है । इस प्रक्रम पर विवेकाधिकार को न्यायिक तौर पर अभिव्यक्त करना होता है न कि

मनमाने तौर पर । वादी और प्रतिवादी के बीच बातचीत हुई है जो दिसम्बर, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक उनके बीच लगभग 17 ईमेलों से प्रलक्षित होते हैं । ईमेलों में संबद्ध फाइल के आकार भिन्न-भिन्न हैं जो 48-50-52-48-57-56 केवी के हैं, में समय-समय पर सुझाव और सुधार उपदर्शित करते हैं । वाट्सऐप संदेशों जो वास्तविक शाब्दिक संसूचनाएं हैं, वे उनके अर्थान्वयन के संबंध में साक्ष्य के विषय हैं और इनकी अंतर्वस्तुओं को मुख्य-परीक्षा और प्रतिपरीक्षा में विचारण के दौरान साबित किए गए हैं । ईमेलों और वाट्सऐप संदेशों का परिशीलन करना होगा और इनका अर्थ निकालने के लिए संचित रूप से समझना होगा कि क्या इनके बीच निष्कर्षित संविदा हुई है या नहीं । तारीख 30 मार्च, 2018 के ईमेल में 'अंतिम ड्राफ्ट' शब्दों का प्रयोग करने से स्वयं इसके द्वारा इसे अवधारित नहीं किया जा सकता है । तारीख 26 फरवरी, 2018 का ईमेल प्रतिवादी द्वारा प्रात:काल 11.46 बजे भेजा गया था, में भी इसी भाषा शैली का प्रयोग किया गया था । वादी को संक्षिप्त निरीक्षण से ही इस बात की अच्छी तरह से जानकारी हो गई थी कि प्रतिवादी का अन्य दो व्यक्तियों के साथ उन्हीं भूमियों के विक्रय के लिए बातचीत चल रही थी । वादी को स्वयं तारीख 30 मार्च, 2018 को इस बात की भी जानकारी हो गई थी कि उसके साथ संव्यवहार वस्तुत: असफल हो गया है जिसे निलंबलेख अभिकर्ता को सूचित कर दिया गया था । यह तथ्य कि ड्राफ्ट एमओयू को 'चर्चा के लिए अंतिम' के रूप में नामकरण करते हुए उसी दिन भेजा गया था, से एकाकी रूप से निष्कर्षित संविदा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है । इस बारे में इस प्रक्रम पर कोई साक्ष्य नहीं है कि स्वीकृति, प्रतिवादी को तारीख 30 मार्च, 2018 को प्रतिवादी सं. 2 के साथ संव्यवहार से सम्मिलित होने और तारीख 31 मार्च, 2018 को रजिस्ट्रीकृत विक्रय करार के निष्पादित होने के पूर्व संसूचित कर दी गई थी । प्रतिवादी सं. 2 ने उसी दिन प्रतिवादी के आयकर बकायों 17.69 करोड़ रुपए और 2.20 करोड़ रुपए का संदाय कर दिया था जो प्रतिफल रकम के ही भाग थे । इसके पश्चात् ही वादी ने तारीख 31 मार्च, 2018 को अपराह्न 1.13 बजे प्रतिवादी को अपनी तात्पर्यित स्वीकृति संसूचित किया है । वाद के अभिवचन, प्रतिवादी सं. 2 के साथ की जा रही बातचीत का वादी के जागरूकता की अभिस्वीकृति है । तारीख 31 मार्च, 2018 को सायंकाल

में ही आटीजीएस के माध्यम से वादी ने अग्रिम राशि 2.16 करोड़ रुपए वापस कर दी थी । वादी द्वारा तत्काल या अगले दिन भी आरटीजीएस के माध्यम से प्राप्त रकम को वापस करने का कोई प्रयास नहीं किया था । मात्र लोक सूचना में जो 3 अप्रैल, 2018 को प्रकाशित हुई थी, तारीख 4 मार्च, 2018 को प्रतिवादी द्वारा खंडन किया गया था । उसके बाद, वाद 7 माह पश्चात् तारीख 1 अक्तूबर, 2018 को फाइल किया गया था । यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि वादी मुकदमेबाजी बाहर हल करने के लिए आशा पूर्वक इंतजार कर रहा था क्योंकि एक प्रज्ञावान कारोबारी अंतिम रूप में वाद संस्थित करने के पूर्व किसी प्रतिफल के बिना गुणागुणों पर मामले का समाधान करना चाहता है । व्यादेश मंजूर करने के मामले में, प्रथमदृष्ट्या मामला मौजूद होने के अलावा, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति, व्यादेश के साम्यिक अनुतोष की ईप्सा करने वाले पक्षकार के आचरण पर विचार करना भी अति आवश्यक है । प्रतिवादी सं. 2 ने पूर्वोक्त रूप से कथित आयकर विभाग के बकायों के अतिरिक्त प्रतिवादी को तारीख 16 जनवरी, 2019 तक 25,44,57,769/- रुपए का संदाय भी किया जो कुल संदाय मिलाकर 45,48,71,869/- रुपए होता है । प्रतिवादियों ने 36.20 करोड़ रुपए का उपभोग करना भी शुरू कर दिया था और इसलिए, सुस्पष्टत: वादी द्वारा समयावधि में वाद संस्थित नहीं करने और तृतीय पक्षकारों को सारवान् निवेश करते हुए अधिकारों को अर्जित कर लेना मंजूर करने के कारण उन्होंने तात्विक रूप से अपनी प्रास्थिति में परिवर्तन कर लिया था । इसलिए, न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में तथा इस प्रक्रम पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्रियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, यह प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या पक्षकारों के बीच निष्कर्षित संविदा मौजूद है या नहीं, यह स्वयं विचारण की विषय-वस्तु है कि साक्ष्य के आधार पर यह विनिश्चय किया जाए कि ऐसा हो सकता है । यदि वादी निष्कर्षित संविदा और/या अनुमान द्वारा मौखिक संविदा की दलील देता है तो निष्पादित दस्तावेज की मात्र औपचारिकता ही रह जाती है, और वादी पर यह साबित करने का भार होता है कि वह यह वर्णित करे कि पक्षकारों ने उसी में अपनी बाध्यताओं को उन्मोचित कर दिया है । वादी, इसे स्वीकृत तथ्यों पर दर्शित करने में असफल रहा है । तारीख 30 मार्च,

2018 के ड्राफ्ट एमओयू के खंड ग में प्रतिफल रकम के भाग रूप में 18.64 करोड़ रुपए की आयकर बकायों का संदाय अनुध्यात किया है जिसके पश्चात् ही तारीख 29 मार्च, 2008 से संबंधित करार पर हस्ताक्षर किया जाना चाहिए । क्या वादी द्वारा इस रकम को पहले ही संदत्त या परिहार कर दिया गया है, लिखित करार का निष्पादन कराने की अपेक्षाओं के बारे में संपूर्ण रूप से विभिन्न विचार उद्भूत होते हैं, शेष मात्र औपचारिकताएं रह जाती हैं । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सुविधा का संतुलन, वाद संस्थित करने में सात माह का इंतजार करते हुए, वादी द्वारा दिए गए कारणों के साथ-साथ बिना इसके मध्यवर्ती विकासों के कारण प्रतिवादियों के पक्ष में जाता है । संविदा भंग की शिकायत करने वाले पक्षकार को अपूरणीय क्षति का प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता है । यदि भंग की शिकायत करने वाले पक्षकार के पास अन्य उपचार उपलब्ध है । उच्च न्यायालय ने स्वयं ही यह मत व्यक्त किया है कि पक्षकारों के बीच इस बातचीत से कि 'वादी और प्रतिवादी के बीच कुछ उदासीनता थी..'। विशेष सिविल न्यायाधीश विलंब के मुद्दे का पता लगाने में असफल रहे है । उच्च न्यायालय ने वाद संस्थित करने में विलंब के बारे में प्रतिवादियों के तर्कों को उल्लिखित किया है किन्तु वह इस पर विचार करने में असफल रहा है । पूर्वोक्त चर्चा से यह निष्कर्ष निकालने के लिए न्यायालय का समाधान हो जाता है कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में वादी को व्यादेश मंजूर करने का आदेश कायम रखे जाने योग्य नहीं है । परिणामत:, व्यादेश के आदेशों को अपास्त किया जाता है । (पैरा 5, 6, 7, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 और 24)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2009]	(2009) 2 एस. सी. सी. 582 : **आलोक बोस** बनाम **परमात्मा देवी और अन्य** ;	12
[2008]	(2008) 11 एस. सी. सी. 1 : **मंडाली रनगन्ना और अन्य** बनाम **टी. रामचंद्र और अन्य** ;	8,20

[2006] (2006) 13 एस. सी. सी. 706 :
एम. पी. माथुर बनाम **डी. टी. सी.** ; 22

[2004] (2004) 8 एस. सी. सी. 488 :
मोहरवाल खेवाजी ट्रस्ट (रजि.), फरीदकोट बनाम
बलदेव दास ; 12

[2000] (2000) 6 एस. सी. सी. 420 :
मोतीलाल जैन बनाम **राम दासी देवी (श्रीमती)**
और अन्य ; 12, 19

[1997] (1997) 5 एस. सी. सी. 468 :
एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, गोंदल और अन्य बनाम
गिरिधरभाई रामजीभाई छनियारा और अन्य ; 17

[1997] (1997) 3 एस. सी. सी. 1 :
के. एस. विद्यानंदम और अन्य बनाम **वैरावण** ; 7

[1995] (1995) 5 एस. सी. सी. 545 :
गुजरात बाटलिंग कं. लि. बनाम **कोका कोला कं.** ; 23

[1992] (1992) 1 एस. सी. सी. 719 :
दलपत कुमार बनाम **प्रह्लाद सिंह** ; 16

[1990] (1990) 4 एस. सी. सी. 147 :
बृज मोहन और अन्य बनाम
सुजरा बेगम और अन्य ; 12,21

[1990] (1990) 3 एस. सी. सी. 1 :
मायावंती बनाम **कौशल्या देवी** ; 8

[1990] (1990) (सप्ली.) एस. सी. सी. 727 :
वान्डर लि. और एक अन्य बनाम
अंटॉक्स इंडिया प्रा. लि., ; 12,23

[1965] [1965] 2 एस. सी. आर. 221 :
मैडमसेट्टी सत्यनारायणा बनाम
जी. एलोजी राव और अन्य । 13,20

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2019 की सिविल अपील सं. 9346 के साथ 2019 की सिविल अपील सं. 9347, 9348 और 9349.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 133 के अधीन अपील ।

पक्षकारों की ओर से सर्वश्री कपिल सिब्बल, सी. यू. सिंह, हुजेफा अहमदी, (डा.) ए. एम. सिंघवी, देवेन पारिख, ज्येष्ठ अधिवक्तागण, (सुश्री) मेघा जानी, (सुश्री) अनुश्री पराशित कपाड़िया, राघव तन्खा, (सुश्री) विदुषी, (सुश्री) गरिमा बजाज, राघवेन्द्र मोहन बजाज, शंकर अग्रवाल, निखिल गोयल, ऋषभ पारिख, आशुतोष घड़े, (सुश्री) नवीन गोयल, दुष्यंत सरणा, एल. निधिराम शर्मा, अधिवक्तागण

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा ने दिया ।

न्या. सिन्हा – वर्तमान अपीलें, उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थियों द्वारा फाइल तीन पृथक् प्रकीर्ण अपीलों में पारित तारीख 30 अगस्त, 2009 के सामान्य आदेश से उद्भूत हुए हैं जिसके द्वारा व्यादेश के आदेश की पुष्टि कर दी गई थी । के. एस. इंफ्रास्पेस एलएलपी लि., प्रत्यर्थी सं. 1 ने अपीलार्थियों के विरुद्ध क्रमश: 2019 की सिविल अपील सं. 9346 (अम्बालाल साराभाई इंटरप्राइज) और 2019 की सिविल अपील सं. 9347 (हरियाणा कांटेनर्स लिमिटेड) जो एक दूसरे से संबंधित थे, में प्रधान सिविल न्यायाधीश वड़ोदरा के समक्ष क्रमश: 2018 की विशेष सिविल वाद सं. 322 और 323 फाइल की थी । अपीलार्थी को 2019 की सिविल अपील सं. 9348 (नेपच्यून इंफ्रास्पेस प्रा. लि.) में, बाद वाले वाद में प्रतिवादी सं. 2 के रूप में पक्षकार बनाया गया था । सुविधा के लिए पक्षकारों को सिविल वाद में क्रमश: उनकी स्थिति के अनुसार निर्दिष्ट किया जाएगा ।

2. वादी ने प्रतिवादी बहन के विरुद्ध ग्राम वाडीवाडी, सुभानपुरा,

जिला वड़ोदरा, गुजरात में स्थित कुल 19,685 वर्गमीटर भूमि के संबंध में घोषणा और विनिर्दिष्ट पालन के लिए दो बार फाइल किया था । वादी ने यह दलील दी थी कि वाद भूमियों का क्रमश: कुल 31,81,73,076/- रुपए और 58,26,86,984/- रुपए में विक्रय करने के लिए बातचीत करने के पश्चात् प्रतिवादी के साथ एक संविदा विद्यमान है । वादी को तारीख 30 मार्च, 2018 के अंतिम ड्राफ्ट सहमति पत्र (एमओयू) में इसकी स्वीकृति सम्यक् रूप से संसूचित कर दी गई थी । संविदा दस्तावेजों का औपचारिक निष्पादन मात्र एक औपचारिकता रह गई थी । अग्रिम धन के रूप में 2.16 करोड़ रुपए संदत्त भी कर दिए गए थे । वादी अतिशेष रकम को संदत्त करने के लिए तैयार और रजामंद था । वैकल्पिक तौर पर यह दावा किया गया था कि पक्षकारों के बीच मौखिक संविदा विद्यमान थी । प्रतिवादियों ने आश्चर्यजनक रूप से प्रतिवादी सं. 2 के साथ तारीख 31 मार्च, 2018 को रजिस्ट्रीकृत विक्रय करार किया और इसलिए, वाद फाइल किया गया और व्यादेश के लिए प्रार्थना की गई है ।

3. प्रधान सिविल न्यायाधीश ने तारीख 18 फरवरी, 2019 के आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि तारीख 29 मार्च, 2018 और तारीख 30 मार्च, 2018 के ईमेल द्वारा विक्रय के लिए निबंधन और शर्तें अंतिम हो गई थीं । 2.16 करोड़ रुपए की अग्रिम रकम पहले ही संदत्त कर दी गई थी और वादी अतिशेष रकम का संदाय करने के लिए तैयार और रजामंद था । तृतीय पक्षकार के अधिकारों का सृजन होने से आगे मुकदमेबाजी और बढ़ेगी । इस प्रकार, अस्थायी व्यादेश के आदेश द्वारा प्रतिवादियों को कोई अन्य दस्तावेज जिनमें इसी तरीके से वाद भूमियों के संबंध में विक्रय विलेख या कोई और प्रभार, हित या संव्यवहार सम्मिलित है, करने से अवरुद्ध कर लिया गया ।

4. उच्च न्यायालय ने तारीख 30 अगस्त, 2009 के अपने आदेश द्वारा व्यादेश की आदेश की पुष्टि करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया कि पक्षकारों के बीच वाट्सऐप के साथ तारीख 30 मार्च, 2018 के ईमेल द्वारा भेजे गए ड्राफ्ट एमओयू की स्वीकृति की संसूचना संविदापूर्ण होने की कोटि में आएगा ।

5. हमने, प्रतिवादी सं. 1 और 2 के विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री

कपिल सिब्बल, श्री सी. यू. सिंह और श्री हुजेफा अहमदी जो हमारे समक्ष अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित हुए थे, को सुना । श्री सिब्बल ने संबंधित प्रतिवादी बहन की ओर से तर्क देते हुए यह निवेदन किया कि उन्होंने वित्तीय अभाव और आयकर विभाग के पास कुल 48,74,45,929/- रुपए बकाया होने के एवज में उसके द्वारा अचल संपत्तियों को कुर्क करने के अलावा अन्य कानूनी दायित्वों, कर्मचारियों और कारबार से संबंधित दायित्वों का निर्वहन करने में वित्तीय असमर्थता को ध्यान में रखते हुए, भूमियों का विक्रय करने का निश्चय किया था । वादी के साथ बातचीत अंतिम नहीं हुई थी किन्तु मात्र बातचीत के प्रक्रम पर ही थी । वादी ने कुर्क संपत्ति को छुड़ाने के लिए विक्रय प्रतिफल रकम के भाग रूप में प्रतिवादियों के ऊपर आयकर विभाग के दायित्व का निर्वहन करने के अलावा प्रतिवादियों के अन्य दायित्वों को स्वीकार नहीं किया, इसलिए, प्रतिवादी सं. 2 के साथ नए सिरे से बातचीत की गई थी । यह दलील दी गई कि करार का निष्पादन औपचारिक रूप से विवादित था । वाद में, वैकल्पिक दलील से यह प्रकट होता है कि एक मौखिक संविदा विद्यमान थी ।

6. तारीख 30 मार्च, 2018 का अंतिम ड्राफ्ट एमओयू की स्वीकृति में प्रत्यर्थी का उत्तर विलंबित था । वादी अच्छी तरह से इन सभी बातों को जानता था कि प्रतिवादी उसके अलावा दो अन्य व्यक्तियों से भी बातचीत कर रहे थे । वादी को तारीख 30 मार्च, 2018 के पूर्व यह जानकारी थी कि उसके साथ किया जा रहा संव्यवहार अंतिम नहीं हो सकता था और यह कि प्रतिवादी किसी अन्य व्यक्ति के साथ बातचीत में आगे बढ़ रहा था । प्रतिवादी सं. 2 के साथ संव्यवहार, प्रतिवादी सं. 2 द्वारा तारीख 30 मार्च, 2018 से उसकी बहन से संबंधित आयकर विभाग के बकायों जो क्रमश: 17.69 करोड़ रुपए और 2.20 करोड़ रुपए थे जिनसे तारीख 26 अप्रैल, 2018 को आयकर विभाग द्वारा भूमियों के लिए जारी कुर्की आदेश को छुड़ाने में समर्थ होता, का संदाय करने के पश्चात् तारीख 31 मार्च, 2018 को रजिस्ट्रीकृत विक्रय करार के निष्पादन द्वारा अंतिम की गई थी, जिनके अग्रसरण में प्रतिवादी सं. 2 द्वारा तारीख 16 जनवरी, 2019 तक कुल 45.84 करोड़ रुपए का भी

संदाय किया गया था । कुल 36.20 करोड़ रुपए जो विक्रय कार्यवाहियों से प्राप्त हुआ था, का उपयोग प्रतिवादियों द्वारा पहले ही अन्य कानूनी दायित्वों और कर्मचारियों से संबंधित दायित्वों इत्यादि का संदाय करने में कर लिया गया था । इसलिए, यह सद्भाविक कार्रवाई थी । तारीख 30 मार्च, 2018 के ड्राफ्ट की स्वीकृति एमओयू द्वारा वादी का ईमेल जैसा कि दावा किया गया है, तारीख 31 मार्च, 2018 को पूर्वाह्न 7.43 बजे तक उसके द्वारा नहीं भेजा गया था अपितु यह प्रतिवादी को तारीख 31 मार्च, 2018 को अपराह्न 1.13 बजे प्राप्त हुआ था ।

7. तारीख 30 मार्च, 2018 के पूर्व पूर्ण जानकारी और तारीख 31 मार्च, 2018 को 2.16 करोड़ रुपए आरटीजीएस के माध्यम से वापस प्राप्त करने के बावजूद, वादी ने तारीख 3 अप्रैल, 2018 को ही एक लोक सूचना प्रकाशित की यह विज्ञापन देते हुए कि सभी संबंधित व्यक्ति उस संपत्ति के साथ संव्यवहार नहीं करें जिसका प्रतिवादियों द्वारा प्रकाशित तारीख 4 अप्रैल, 2018 के एक अन्य लोक सूचना में सम्यक् रूप से उत्तर और खंडन कर दिया गया था । वाद में, वाद हेतुक, तारीख 30 मार्च, 2018 के ईमेल और तारीख 3 अप्रैल, 2018 की लोक सूचना पर आधारित है । तारीख 31 मार्च, 2018 को नकद वापसी की जानकारी होते हुए भी तारीख 31 मार्च, 2018 को प्रतिवादी के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय करार पर हस्ताक्षर होने को स्वीकार किया गया है । किन्तु, इस बारे में कोई भी सुझाव नहीं दिया गया है कि क्यों वाद को सात माह से अधिक दिनों के विलंब से फाइल किया गया । वाणिज्यिक संव्यवहारों में उच्चस्तरीय मामलों में विलंब एक आवश्यक तत्व है । इस विनिर्दिष्ट आक्षेप को प्रतिवादियों की ओर से **के. एस. विद्यानंदम और अन्य** बनाम **वैरावण**[1] वाले मामले का अवलंब लेते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष लिया गया था जिसे निर्णय के पैराग्राफ 37 में उल्लिखित किया गया है किन्तु इसमें विचार के लिए गुणागुण नहीं पाया गया था ।

8. **मंडाली रनगन्ना और अन्य** बनाम **टी. रामचंद्र और अन्य**[2] वाले मामले का भी अवलंब लेते हुए, यह निवेदन किया गया है कि व्यादेश

---

[1] (1997) 3 एस. सी. सी. 1.

[2] (2008) 11 एस. सी. सी. 1.

की मंजूरी, **मायावंती** बनाम **कौशल्या देवी**[1] वाले मामले में अधिकथित विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद में, व्यादेश को शासित करने वाले आधारभूत सिद्धांतों के प्रतिकूल है ।

9. प्रतिवादी सं. 2 के विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री हुजेफा अहमदी ने यह निवेदन किया है कि यह मूल्य के लिए एक सद्भाविक क्रेता था । वादी उसके साथ उसी समय चल रही बातचीत से अच्छी तरह से जानता था । प्रतिवादी सं. 2 ने तारीख 26 मार्च, 2018 को प्रतिवादी से लिखित में यह पुष्टि प्राप्त करने के पश्चात् ही तारीख 30 मार्च, 2018 को पर्याप्त रूप से संदाय किया था कि विषयगत भूमियों के संबंध में किसी अन्य के साथ करार पर हस्ताक्षर नहीं किया गया है अथवा न ही किसी अन्य से संदाय प्राप्त किया गया है । तारीख 31 मार्च, 2018 के रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख के अनुसरण में कब्जे का परिदान, वाद संस्थित किए जाने के काफी समय पूर्व कर दिया गया था । विलंब के संबंध में विनिर्दिष्ट आक्षेप, व्यादेश आवेदन के उत्तर में किया गया था जिस पर विचार नहीं किया गया था ।

10. वादी के विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल डा. ए. एम. सिंघवी ने यह निवेदन किया कि उसके मुवक्किल ने किसी भी प्रक्रम पर प्रतिवादी की संबंधित बहन की आयकर दायित्वों का निर्वहन करने से इनकार नहीं किया था जो प्रतिफल रकम का भाग था । बातचीत, व्यापक तौर पर दोनों की ओर से वाट्सऐप संदेशों और ईमेलों के जरिए किया गया था । इन सभी से, वादी के पक्ष में प्रथमदृष्ट्या मामला अभिनिर्धारित होने से सही तौर पर निर्वचन होता है । संदाय करने के निबंधन और शर्तें सभी अंतिम हो गई थीं जिनसे प्रथमदृष्ट्या निष्कर्षित संविदा की विद्यमानता प्रलक्षित होती है । यह तथ्य कि तारीख 30 मार्च, 2018 ईमेल ड्राफ्ट एमओयू के रूप में उपाबंध को निर्दिष्ट करता है, इस बात का निश्चायक नहीं हो सकता है क्योंकि यह तथ्यों के समेकित निर्धारण के समझ पर आधारित था । किसी भी दशा में, वादी ने बिना विलंब के अपनी स्वीकृति की संसूचना दे दी थी और लोक नोटिस द्वारा उसी दिन

---

[1] (1990) 3 एस. सी. सी. 1.

2.16 करोड़ रुपए की अग्रिम रकम वापस करने का भी विरोध किया था ।

11. हड़बड़ी तरीके से जिनमें प्रतिवादियों ने स्वयं तारीख 30 मार्च, 2018 को संव्यवहार अंतिम करने की कार्रवाई की थी, प्रतिवादियों द्वारा वादी को क्षति पहुंचाने की इच्छा प्रकट होती है । प्रतिवादी सं. 2, सद्भाविक क्रेता होने का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि वह वादी और प्रतिवादी के संबंधित बहन के बीच की जा रही बातचीत से अच्छी तरह भिज्ञ था और यह कि यह अत्यधिक अग्रिम प्रक्रम पर था ।

12. डा. सिंघवी ने यह प्रश्न विरचित किया कि क्या विशेष सिविल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय द्वारा अच्छी तरह से विचारित विस्तृत दो आदेशों द्वारा निकाले गए समवर्ती निष्कर्ष में इस आधार पर हस्तक्षेप किया जा सकता है कि वाद के आधार ही गायब हैं । अपने निवेदनों के समर्थन में डा. सिंघवी ने **वान्डर लि. और एक अन्य** बनाम **अंटॉक्स इंडिया प्रा. लि.**[1], **बृज मोहन और अन्य** बनाम **सुजरा बेगम और अन्य**[2], **मोतीलाल जैन** बनाम **राम दासी देवी (श्रीमती) और अन्य**[3], **मोहरवाल खेवाजी ट्रस्ट (रजि.), फरीदकोट** बनाम **बलदेव दास**[4] और **आलोक बोस** बनाम **परमात्मा देवी और अन्य**[5] वाले मामलों का अवलंब लिया ।

13. वाद संस्थित करने में विलंब के पहलू पर, **मैडमसेट्टी सत्यनारायणा** बनाम **जी. एलोजी राव और अन्य**[6] वाले मामले का अवलंब लेते हुए यह निवेदन किया गया कि विलंब, प्रतिवादी को अपनी प्रतिकूलता में पूर्ववर्ती में पहले ही किए जा चुके कार्य को पुन: करने के लिए प्रेरित नहीं करता है । किसी भी दशा में, वादी, प्रतिवादी के पास उसके द्वारा संदत्त बकाया आयकर रकम का संदाय करने और प्रतिवादी

---

[1] (1990) (सप्ली.) एस. सी. सी. 727.

[2] (1990) 4 एस. सी. सी. 147.

[3] (2000) 6 एस. सी. सी. 420.

[4] (2004) 8 एस. सी. सी. 488.

[5] (2009) 2 एस. सी. सी. 582.

[6] [1965] 2 एस. सी. आर. 221.

संबंधित बहन के साथ संविदा की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तैयार और रजामंद था ।

14. हमने विस्तृत तौर पर पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल द्वारा कतिपय वाट्सऐप संदेशों और ईमेल संदेशों के माध्यम से किए गए संव्यवहारों पर विचार किया । हमने क्रमश: निवेदनों पर भी विचार किया । व्यादेश के आरंभिक प्रक्रम पर मुकदमेबाजी, जहां पक्षकारों के दावे अस्पष्ट प्रक्रम पर हैं, वाद की प्रक्रिया को रोक दिया है । हमारी यह सुविचारित राय है कि इस प्रक्रम पर हमें तथ्यों के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष या वाद के गुणागुणों पर अभिव्यक्त कोई राय, सिवाय वर्तमान आदेश के प्रयोजन के लिए आवश्यक होने की सीमा तक, स्वयं को अवरुद्ध कर देना चाहिए ताकि वह वाद में किसी भी पक्षकार के प्रतिकूल न हो ।

15. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा गया है) के अध्याय VII, धारा 36 निवारक अनुतोष मंजूर करने के लिए उपबंध करता है । धारा 37 यह उपबंध करता है कि वाद में अस्थायी व्यादेश, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा विनियमित होगा । विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद में अनुतोष मंजूर करना स्वयं एक वैवेकिक उपचार है । इसलिए, विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद में अस्थायी व्यादेश की ईप्सा करने वाले वादी को अविवादित तथ्यों के आधार पर मजबूत तौर पर प्रथमदृष्ट्या मामले को सिद्ध करना होता है । वादी का आचरण भी व्यादेश के प्रयोजन के लिए अत्यधिक सुसंगत रूप से विचार करने योग्य होता है । इस प्रक्रम पर विवेकाधिकार को न्यायिक तौर पर अभिव्यक्त करना होता है न कि मनमाने तौर पर ।

16. अस्थायी व्यादेश मंजूर करने के लिए आधारभूत सिद्धांतों पर **दलपत कुमार** बनाम **प्रह्लाद सिंह**[1] वाले मामले में विचार किया गया था जिसमें निम्नलिखित मत व्यक्त किया गया है :-

> "5. .....यह समाधान कि स्वयं द्वारा प्रथमदृष्ट्या मामला सिद्ध कर दिया गया है, व्यादेश मंजूर करने के लिए पर्याप्त नहीं

---

[1] (1992) 1 एस. सी. सी. 719.

है । न्यायालय का यह भी समाधान होना चाहिए कि न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं करने का परिणाम, अनुतोष की ईप्सा करने वाले पक्षकार को 'अपूरणीय क्षति' होगी और यह कि पक्षकार को कोई अन्य उपचार उपलब्ध नहीं है सिवाय व्यादेश मंजूर करने के और उसे प्रत्याशित क्षति या बेकब्जा के परिणामों से संरक्षण की आवश्यकता है । तथापि, अपूरणीय क्षति का अभिप्राय यह नहीं है कि क्षतिपूर्ति की कोई भौतिक अधिसंभाव्यता नहीं होनी चाहिए अपितु, इसका अभिप्राय मात्र यह है कि क्षति, तात्विक होनी चाहिए अर्थात् उसकी क्षतिपूर्ति के माध्यम से पर्याप्त रूप से प्रतिपूर्ति नहीं हो सकती है । तृतीय शर्त यह भी है कि 'सुविधा का संतुलन' व्यादेश मंजूर करने के पक्ष में होना चाहिए । न्यायालय को व्यादेश मंजूर करते या इनकार करते समय सारवान् रिष्टि या क्षति की रकम का निष्कर्ष निकालने में ठोस न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहिए जो वास्तव में पक्षकारों को कारित हुई है । यदि, व्यादेश नामंजूर किया जाता है और इसकी उस बात से तुलना की जाती है जो अन्य पक्षकार को कारित हुई है, तभी व्यादेश मंजूर किया जा सकता है । कारित क्षति की संभाव्यताओं या अधिसंभाव्यताओं की तुलनात्मक भार पर विचार किया जाता है और यदि न्यायालय यह विचार करता है कि लंबित वाद में विषय-वस्तु में यथास्थिति कायम रखा जाना चाहिए तो व्यादेश जारी कर सकता है । इस प्रकार, न्यायालय लंबित वाद में अंतरिम अनुतोष को मंजूर करने या इनकार करने में ठोस न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग करता है ।"

17. वादी और प्रतिवादी के बीच बातचीत हुई है जो दिसम्बर, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक उनके बीच लगभग 17 ईमेलों से प्रलक्षित होते हैं । ईमेलों में संबद्ध फाइल के आकार भिन्न-भिन्न हैं जो 48-50-52-48-57-56 केवी के हैं, में समय-समय पर सुझाव और सुधार उपदर्शित करते हैं । वाट्सऐप संदेशों जो वास्तविक शाब्दिक संसूचनाएं हैं, वे उनके अर्थान्वयन के संबंध में साक्ष्य के विषय हैं और इनकी अंतर्वस्तुओं को मुख्य-परीक्षा और प्रतिपरीक्षा में विचारण के दौरान साबित किए गए हैं । ईमेलों और वाट्सऐप संदेशों का परिशीलन करना होगा और इनका अर्थ निकालने के लिए संचित रूप से समझना होगा कि

क्या इनके बीच निष्कर्षित संविदा हुई है या नहीं । तारीख 30 मार्च, 2018 के ईमेल में 'अंतिम ड्राफ्ट' शब्दों का प्रयोग करने से स्वयं इसके द्वारा इसे अवधारित नहीं किया जा सकता है । तारीख 26 फरवरी, 2018 का ईमेल प्रतिवादी द्वारा प्रात:काल 11.46 बजे भेजा गया था, में भी इसी भाषा शैली का प्रयोग किया गया था । वादी को संक्षिप्त निरीक्षण से ही इस बात की अच्छी तरह से जानकारी हो गई थी कि प्रतिवादी का अन्य दो व्यक्तियों के साथ उन्हीं भूमियों के विक्रय के लिए बातचीत चल रही थी । वादी को स्वयं तारीख 30 मार्च, 2018 को इस बात की भी जानकारी हो गई थी कि उसके साथ संव्यवहार वस्तुत: असफल हो गया है जिसे निलंबलेख अभिकर्ता को सूचित कर दिया गया था । यह तथ्य कि ड्राफ्ट एमओयू को 'चर्चा के लिए अंतिम' के रूप में नामकरण करते हुए उसी दिन भेजा गया था, से एकाकी रूप से निष्कर्षित संविदा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है । इस बारे में इस प्रक्रम पर कोई साक्ष्य नहीं है कि स्वीकृति, प्रतिवादी को तारीख 30 मार्च, 2018 को प्रतिवादी सं. 2 के साथ संव्यवहार से सम्मिलित होने और तारीख 31 मार्च, 2018 को रजिस्ट्रीकृत विक्रय करार के निष्पादित होने के पूर्व संसूचित कर दी गई थी । प्रतिवादी सं. 2 ने उसी दिन प्रतिवादी के आयकर बकायों 17.69 करोड़ रुपए और 2.20 करोड़ रुपए का संदाय कर दिया था जो प्रतिफल रकम के ही भाग थे । इसके पश्चात् ही वादी ने तारीख 31 मार्च, 2018 को अपराह्न 1.13 बजे प्रतिवादी को अपनी तात्पर्यित स्वीकृति संसूचित की है । पक्षकारों के बीच लंबी बातचीत से यह प्रलक्षित होता है कि मामला 'प्रारंभिक प्रक्रम' पर था जैसा कि **एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, गोंदल और अन्य** बनाम **गिरिधरभाई रामजीभाई छनियारा और अन्य**[1] वाले मामले में व्यक्त किया गया है । इस प्रक्रम पर, वादी यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि पक्षकारों के बीच आपसी सहमति हो गई थी, कम से कम इतना कहा जा सके कि वे अंतरिम थी ।

18. वाद के अभिवचन, प्रतिवादी सं. 2 के साथ की जा रही बातचीत का वादी के जागरूकता की अभिस्वीकृति है । तारीख 31 मार्च,

---

[1] (1997) 5 एस. सी. सी. 468.

2018 को सायंकाल में ही आरटीजीएस के माध्यम से वादी ने अग्रिम राशि 2.16 करोड़ रुपए वापस कर दिया था । वादी द्वारा तत्काल या अगले दिन भी आरटीजीएस के माध्यम से प्राप्त रकम को वापस करने का कोई प्रयास नहीं किया था । मात्र लोक सूचना में जो 3 अप्रैल, 2018 को प्रकाशित हुई थी, तारीख 4 मार्च, 2018 को प्रतिवादी द्वारा खंडन किया गया था । उसके बाद, वाद 7 माह पश्चात् तारीख 1 अक्तूबर, 2018 को फाइल किया गया था । यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि वादी मुकदमेबाजी बाहर हल करने के लिए आशापूर्वक इंतजार कर रहा था क्योंकि एक प्रज्ञावान कारोबारी अंतिम रूप में वाद संस्थित करने के पूर्व किसी प्रतिफल के बिना गुणागुणों पर मामले का समाधान करना चाहता है ।

19. व्यादेश मंजूर करने के मामले में, प्रथमदृष्ट्या मामला मौजूद होने के अलावा, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति, व्यादेश के साम्यिक अनुतोष की ईप्सा करने वाले पक्षकार के आचरण पर विचार करना भी अति आवश्यक है जैसा कि **मोतीलाल जैन** (उपर्युक्त) वाले मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, जो निम्नलिखित है :-

> "6. प्रथम आधार जो उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया है, वह वाद फाइल करने में विलंब है । विलंब के पहलुओं पर विचार करते हुए, विवेक में इन बातों को ध्यान में रखा जा सकता है जो अमूर्त संपत्ति के विक्रय की संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के मामले में सुसंगत होते हैं –
>
> (i) विलंब, परिसीमा अधिनियम, 1963 के अधीन विहित अवधि के परे हो गया है,
>
> (ii) विलंब, उन मामलों में जहां यद्यपि, वाद परिसीमा के अवधि के भीतर फाइल किया गया है, फिर भी –
>
> (क) विलंब के कारण, तृतीय पक्षकारों ने वाद की विषयवस्तु में अधिकारों को अर्जित कर लिया है,
>
> (ख) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में विलंब, त्यजन के अभिवाक् को उद्भूत कर सकता है अथवा अन्यथा

यह स्वयं विवेकाधिकार के अनुतोष मंजूर करने में असाम्यिक होगा ।"

20. प्रतिवादी सं. 2 ने पूर्वोक्त रूप से कथित आयकर विभाग के बकायों के अतिरिक्त प्रतिवादी को तारीख 16 जनवरी, 2019 तक 25,44,57,769/- रुपए का संदाय भी किया जो कुल संदाय मिलाकर 45,48,71,869/- रुपए होता है । प्रतिवादियों ने 36.20 करोड़ रुपए का उपभोग करना भी शुरू कर दिया था और इसलिए, सुस्पष्टत: वादी द्वारा समयावधि में वाद संस्थित नहीं करने और तृतीय पक्षकारों को सारवान् निवेश करते हुए अधिकारों को अर्जित कर लेना मंजूर करने के कारण उन्होंने तात्विक रूप से अपनी प्रास्थिति में परिवर्तन कर लिया था । **मैडमसेट्टी** (उपर्युक्त) वाले मामले में निम्नलिखित मत व्यक्त किया गया था :–

"12. .... उन परिस्थितियों को अधिकथित करना संभाव्य या अपेक्षित नहीं है जिनके अधीन न्यायालय वादी के विरुद्ध अपनी वैवेकिक शक्तियों का प्रयोग कर सकता है । किन्तु, वे ऐसी होनी चाहिए कि वादी के आचरण या उपेक्षा द्वारा प्रस्तुतीकरण प्रत्यक्षत: प्रतिवादी को उसके प्रतिकूल अपनी प्रास्थिति में परिवर्तन करने के लिए जिम्मेदार हो अथवा इस प्रकार की होनी चाहिए कि ऐसी स्थिति में उसे लाया जा सके जबकि उसे ऐसा अनुतोष देना असाम्यिक हो जाए ।"

इसी प्रकार का मत **मंडाली रनगन्ना** (उपर्युक्त) वाले मामले में व्यक्त किया गया है ।

21. इसलिए, हमारी यह सुविचारित राय है कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में तथा इस प्रक्रम पर हमारे समक्ष प्रस्तुत सामग्रियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, यह प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या पक्षकारों के बीच निष्कर्षित संविदा मौजूद है या नहीं, यह स्वयं विचारण की विषयवस्तु है कि साक्ष्य के आधार पर यह विनिश्चय किया जाए कि ऐसा हो सकता है । यदि वादी निष्कर्षित संविदा और/या अनुमान द्वारा मौखिक संविदा की दलील देता है तो निष्पादित दस्तावेज

की मात्र औपचारिकता ही रह जाती है, और वादी पर यह साबित करने का भार होता है कि वह यह वर्णित करे कि पक्षकारों ने उसी में अपनी बाध्यताओं को उन्मोचित कर दिया है जैसा कि **बृज मोहन** (उपर्युक्त) वाले मामले में मत व्यक्त किया गया है । वादी, इसे स्वीकृत तथ्यों पर दर्शित करने में असफल रहा है । तारीख 30 मार्च, 2018 के ड्राफ्ट एमओयू के खंड ग में प्रतिफल रकम के भाग रूप में 18.64 करोड़ रुपए की आयकर बकायों का संदाय अनुध्यात किया है जिसके पश्चात् ही तारीख 29 मार्च, 2008 से संबंधित करार पर हस्ताक्षर किया जाना चाहिए । क्या वादी द्वारा इस रकम को पहले ही संदत्त या परिहार कर दिया गया है, लिखित करार का निष्पादन कराने की अपेक्षाओं के बारे में संपूर्ण रूप से विभिन्न विचार उद्भूत होते हैं, शेष मात्र औपचारिकताएं रह जाती हैं । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सुविधा का संतुलन, वाद संस्थित करने में सात माह का इंतजार करते हुए, वादी द्वारा दिए गए कारणों के साथ-साथ बिना इसके मध्यवर्ती विकासों के कारण प्रतिवादियों के पक्ष में जाता है । संविदा भंग की शिकायत करने वाले पक्षकार को अपूरणीय क्षति का प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता है । यदि भंग की शिकायत करने वाले पक्षकार के पास अन्य उपचार उपलब्ध है । उच्च न्यायालय ने स्वयं ही यह मत व्यक्त किया है कि पक्षकारों के बीच इस बातचीत से कि 'वादी और प्रतिवादी के बीच कुछ उदासीनता थी..'। विशेष सिविल न्यायाधीश विलंब के मुद्दे का पता लगाने में असफल रहे है । उच्च न्यायालय ने वाद संस्थित करने में विलंब के बारे में प्रतिवादियों के तर्कों को उल्लिखित किया है किन्तु वह इस पर विचार करने में असफल रहा है ।

22. **एम. पी. माथुर** बनाम **डी. टी. सी.**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि :-

> "14. वर्तमान वाद साम्या पर आधारित है ..... । वर्तमान मामले में, वादियों ने ऐसे उपचार की ईप्सा की है जो वैवेकिक है । उन्होंने अधिनियम, 1963 की धारा 34 के अधीन वाद संस्थित

---

[1] (2006) 13 एस. सी. सी. 706.

किया है । विवेकाधिकार जिसे न्यायालय प्रयोग करता है, एक न्यायिक विवेकाधिकार है । उस विवेकाधिकार का प्रयोग सुस्थिर सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है । इसलिए, न्यायालय को उस बाध्यता पर प्रकृति पर विचार करना होता है जिसके संबंध में, पालन करने की ईप्सा की गई है, परिस्थितियां जिनके अधीन विनिश्चय किया जाता है, पक्षकारों का आचरण होता है और उसके प्रभाव में ही न्यायालय डिक्री मंजूर करता है । ऐसे मामलों में, न्यायालय को संविदा को देखना होता है । न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि क्या संविदा में आपसी सहमति का तत्व मौजूद हैं । यदि आपसी सहमति का अभाव है तो न्यायालय, वादियों के पक्ष में विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं करेगा । यद्यपि, आपसी सहमति की अपेक्षा, विवेकाधिकार से संबंधित होता है और न कि विनिर्दिष्ट पालन के पूर्णरूपेण वर्जन से संबंधित होता है, न्यायालय को विषयवस्तु के संबंध में पक्षकारों के संपूर्ण आचरण पर विचार करना होता है और किसी भी निरर्हित परिस्थितियों की दशा में, न्यायालय यथाप्रार्थित अनुतोष मंजूर नहीं करेगा । (स्नेल की इक्विटी, 31वां संस्करण, पृष्ठ 366) ..... ।"

23. **वान्डर लि.** (उपर्युक्त) वाला मामला मात्र प्रज्ञा का नियम विहित करता है । जो अधिकतर मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है । यह **गुजरात बाटलिंग कं. लि.** बनाम **कोका कोला कं.**[1] वाले मामले में पुन: विचार के लिए आया जिसमें निम्नलिखित मत व्यक्त किया गया है :–

"47. .... सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 39 के अधीन अंतर्वर्ती या अस्थायी व्यादेश के आदेश में हस्तक्षेप करने की न्यायालय की अधिकारिता शुद्धत: साम्यिक है और इसलिए, न्यायालय को अन्य बातों पर विचार करने के अलावा न्यायालय की अधिकारिता का अवलंब लेने वाले पक्षकार के आचरण को भी देखना होता है और तब तक हस्तक्षेप करने से इनकार किया जा सकता है जब तक कि उसका आचरण सभी आरोपों से मुक्त न

[1] (1995) 5 एस. सी. सी. 545.

हो । चूंकि अनुतोष, प्रकृति में पूर्णतया साम्यिक होता है, इसलिए, न्यायालय के अधिकारिता का अवलंब लेने वाले पक्षकार को यह दर्शित करना होता है कि उसकी स्वयं की कोई गलती नहीं है और यह कि शिकायत करने वाली चीजों के कथन के बारे में उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं है और यह कि वह उस पक्षकार के विरुद्ध अपने संव्यवहार में अनुचित या असाम्यिक नहीं था जिसके विरुद्ध उसने अनुतोष की ईप्सा की है । उसका आचरण ऋजु और ईमानदार होना चाहिए .... ।"

24. पूर्वोक्त चर्चा से यह निष्कर्ष निकालने के लिए हमारा समाधान हो जाता है कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में वादी को व्यादेश मंजूर करने का आदेश कायम रखे जाने योग्य नहीं है । परिणामत:, व्यादेश के आदेशों को अपास्त किया जाता है । वाद के अंतिम विचारण के समय पर जो स्वाभाविकत: इसके स्वयं के गुणागुणों के आधार पर विनिश्चित किया जाएगा, वर्तमान आदेश में, हमारे द्वारा अभिव्यक्त कोई राय या मताभिव्यक्ति को वर्तमान मामले के संदर्भ में कुछ भी समझा या अर्थान्वयन नहीं किया जाएगा । उच्च न्यायालय, पहले ही वाद की तत्परतापूर्वक सुनवाई करने का निर्देश दे चुका है और हम उसे पुन: दोहराते हैं ।

25. अपीलें मंजूर की जाती हैं ।

अपीलें मंजूर की गई ।

क.